उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या–G20492 / विविध–73 / 2015 दिनांक 18.06.2015

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित परियोजनाओं में विभिन्न विभागों से उद्यमियों द्वारा वांछित स्वीकृतियां/प्रमाण पत्रों/अनापत्तियों आदि को प्राप्त करने हेतु प्रदेश में लागू एकल मेज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़/प्रभावी एवं उद्योगपरक बनाने हेतु **निवेश मित्र** व्यवस्था प्रदेश में सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिनांक 25.04.2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त बोर्ड में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गयी थी एवं पाया गया कि कई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में एत्दद्वारा बोर्ड के समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि:–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी16553/32/2013/86, दिनांक 10.09.2013 द्वारा उद्योगों को प्रदूषण के आधार पर क्रमशः लाल, हरी एवं नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य परिस्थिति में बोर्ड मुख्यालय स्तर से प्रमुख प्रदूषणकारी (लाल श्रेणी) के उद्योगों के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित अधिनियमों के तहत प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति के प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से हरी एवं नारंगी श्रेणी के उद्योगों के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित अधिनियमों के प्राविधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति के प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। उक्त हेतु अधिनियमों के तहत प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नवत् व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जाती है:–

(i) प्रमुख प्रदूषणकारी (लाल श्रेणी) के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 03 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

(ii) नारंगी श्रेणी के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 04 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

(iii) हरी श्रेणी के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 06 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

2. बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–G0 2164/37/ARN/97, दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित की गई 220 श्रेणी के उद्योगों को बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है एवं उक्त श्रेणी के उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अंतर्गत सहमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के साक्ष्य को ही उक्त उद्योग हेतु सहमति मानी जाती है, जो कि प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीनीकरण होगी, जब तक कि उक्त उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि अथवा नये उत्पाद का उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है।

3. सामान्य परिस्थिति में उद्योग से विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में URL http://www.uppcb.com/board_struc.htm पर उपलब्ध विभिन्न जनपदों हेतु निर्धारित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या विलम्बतम 48 घंटे के अन्दर **निवेश मित्र** व्यवस्था के तहत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

18.6.2013

(सैयद जावेद अब्बास)
अध्यक्ष

<u>पृ० सं० एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल कार्यालय ज्ञाप को बोर्ड के अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. गार्ड फाइल।

सदस्य–सचिव